न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपीलसंख्या 98 / 2019 जीसीएमएस संख्या 2019 / 00074

1. श्रीमति प्रेम देवी पत्नि स्व० श्री रामजीवण उर्फ मांगू (मांगू पुत्र डालू) जाति अहीर निवासी हरिपुरा हाल आबाद दूदू तहसील दूदू जिला जयपुर राज०।
2. मंजू देवी पुत्री स्व0 श्री रामजीवण उर्फ मांगू जाति अहीर निवासी हरिपुरा हाल आबाद दूदू तहसील दूदू जिला जयपुर राज०।
3. नरेन्द्र पुत्र स्व0 श्री रामजीवण उर्फ मांगू जाति अहीर निवासी हरिपुरा हाल आबाद दूदू जिला तहसील दूदू जिला जयपुर।
4. सुरेश पुत्र स्व0 श्री रामजीवण उर्फ मांगू जाति अहीर निवासी हरिपुरा हाल आबाद दूदू तहसील दूदू जिला जयपुर राज०।
5. राजेन्द्र पुत्र स्व0 श्री रामजीवण उर्फ मांगू जाति अहीर निवासी हरिपुरा हाल आबाद दूदू तहसील दूदू जिला जयपुर राज०

—अपीलांट्स

बनाम

1. वंशी पुत्र मोघा पुत्र नारायण (नारायण पुत्र मांगू, मांगू पुत्र कामड)
2. श्रीमति गंगा देवी पत्नि मोघा पुत्र नारायण (नारायण पुत्र मांगू, मांगू पुत्र कामड)
3. रामनिवास पुत्र स्व0 कालू
4. जगदीश पुत्र स्व० कालू
5. भगवानसहाय पुत्र स्व0 कालू
6. प्रेमचन्द पुत्र पुत्र स्व0 कालू
7. गेंदी देवी पुत्री स्व० कालू
8. लाली देवी पुत्री स्व० कालू
9. राजू पुत्री स्व० कालू
10. श्रीमति रामा देवी पत्नि स्व० गंगाराम
11. मूलचन्द पुत्र स्व0 गंगाराम समस्त जातियान अहीर निवासीगण हरिपुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर राज०।
12. रामचन्द्र पुत्र स्व० गंगाराम जाति अहीर निवासी हरिपुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर राज०। (फौत)

    12/1 श्रीमती प्रेम देवी पत्नी स्व0 रामचन्द्र जाति अहीर निवासी हरिपुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
13. कानाराम पुत्र स्व० गंगाराम
14. रतनलाल पुत्र स्व0 गंगाराम
15. महेश सिंह पुत्र स्वव गंगाराम
16. नोरती देवी पुत्री स्व० गंगाराम
17. रतनी देवी पुत्री स्व० गंगाराम
18. प्रभू देवी पुत्री स्व० गंगाराम समस्त जातियान अहीर निवासीगण हरिपुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर राज०
19. सरकार तहसीलदार फुलेरा सांभरलैक जिला जयपुर राज०।

— रेस्पोडेन्ट्स

संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील अन्तर्गत धारा 76 भू–राजस्व अधिनियम विरुद्ध निर्णय दिनॉक 30–09–2014 अतिरिक्त कलेक्टर चतुर्थ जयपुर अपील संख्या 05/2008 उनवानी रामलाल बनाम राजस्थान सरकार।

उपस्थित–

1. श्री हनुमान प्रसाद चौधरी वकील अपीलान्ट
2. श्री रामचन्द्र यादव वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2/1 से 2/8 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–22.04.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार फुलेरा जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 21.02.2019 के खिलाफ प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा–5 के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. तहसीलदार फुलेरा जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 21.02.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट श्रीमति प्रेम देवी पत्नि स्व० श्री रामजीवण उर्फ मांगू वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश तहसीलदार फुलेरा जिला जयपुरके निर्णय दिनांक 21.02.2019 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

3 अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

4. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाण्ट का मूल निवास ग्राम हरिपुरा तहसील फुलेरा था। रेस्पोडेन्ट की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 326 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा जो कि अपीलान्ट की भूमि का पडौसी काश्तकार है। अपीलांट की अपने बुजूर्ग मांगू उर्फ रामजीवण पुत्र डालू की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 323, 325 वाके ग्राम बाघपुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर स्थित है। उक्त विवादित आराजीयात अपीलाण्ट के पूर्वजों की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की थी। अपीलाण्ट के पति/पिता मांगू उर्फ रामजीवण ग्राम हरिपुरा से 40 वर्षो से दूदू आकर दुकान करने लगे तथा मांगू उर्फ रामजीवण पुत्र डालू को फौत बताकर रेस्पोडेंट ने अपीलाण्ट की कब्जे काश्त की खातेदारी की भूमि की फर्जी विरासत का नामांतकरण संख्या 138 दिनांक 21.11.1978 को खुलवा लिया। यानि कि अपीलार्थी के पिता व पति जो कि जीवित था उसको मृतक बताकर ना. सं. 138 दिनांक 21.11.78 को तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत शार्दुलपुरा ने फर्जी तौर पर स्वीकार किया। जिसकी अपीलार्थी के पति/पिता मांगू उर्फ रामजीवन पुत्र डालू ने शिकायत की जिस पर तहसीलदार फुलेरा ने जॉच करके उक्त नामान्तकरण को फर्जी एवं कूटरचित मानते हुए उसका अमल दरामद राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी से हटाने के आदेश दिनांक 17.04.84 को पटवारी हल्का शार्दुलपुरा को दिया। जिसके विरूद्व रेस्पोडेंट ने 24 वर्ष पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश चतुर्थ जयपुर के यहां अपील प्रस्तुत की। जिसमें जिसमें न्यायालय द्वारा बिना सुनवाई का अवसर दिये

संभागीय आयुक्त
जयपुर

आज्ञा भू०अ० / 84 / 1337–38 दिनांक 17.04.84 को निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु तहसीलदार फुलेरा रिमाण्ड किया गया।

उक्त फर्जी ना.सं. 138 के विरूद्ध मांगू उर्फ रामजीवन पुत्र डालू ने एक फोजदारी इस्तगासा जो उक्त नामान्तकरण लिप्त पक्षकारान एवं पटवारी, गिरदावर एवं सरपंच के विरूद्ध किया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय जयपुर से उनके विरूद्ध प्रसंज्ञान तक लिया जा चुका है तथा अपीलार्थीगण ने उक्त प्रकरण में तहसीलदार फुलेरा के समक्ष धारा 195 एवं 340 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत मुकदमा दर्ज कराने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमे माननीय राज. उच्च न्यायलाय खण्ड पीठ, जयपुर में एकल दाण्डिक विविघ याचिका संख्या 1439 / 2002 उनवानी मांगू उर्फ रामजीवन जरिये विधिक वारिसान श्रीमती प्रेम देवी व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में दिनांक 03.05.2011 को निर्णय पारित कर "याचिका स्वीकार करते हुए विद्वान तहसीलदार फुलेरा के आदेश दिनांक 08.08.2002 को अपास्त किया जाता है। तहसीलदार फुलेरा को निर्देश दिया जाता है कि वे इस न्यायालय के आदेश दिनांक 19.02.2002 का ध्यान पूर्वक अवलोकन कर प्रार्थी की ओर से धारा 195 सहपठित धारा 340 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का न्यायालय के निर्देशों की पालना में विधि अनुसार निस्तारण करे।" अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली आगामी कार्यवाही के प्रयोजनार्थ अविलम्ब वापिस प्रेषित की जावे। न्या. एस. एस. कोठारी उक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के निर्णय दिनांक 03.05.2011 की आज तक पालना नहीं करके एवं मुल्जिमान को एवं दोष सरकारी कर्मचारियों के बचाने के लिए बिना अपीलार्थीगण सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये बिना, मुल्जिमान (रिस्पोडेन्ट) से सांठ गांठ करके उक्त ना. सं. 138 को बहाल करके एवं तथा जो नामान्तकरण मांगू का फर्जी फोती रहते हुए खोला था उसमें जो व्यक्ति एवं रेस्पोडेन्ट के विरूद्व माननीय उच्च न्यायलाय केआदेश दिनांक 03.05.2011 की पालना नहीं करके उक्त जीवित मांगू उर्फ रामजीवन पुत्र डालू अहीर (गोत्र खातोदिया) को दूसरा मांगू पुत्र कामड अहीर (गोत्र लोछब) जो कि सैटलमेन्ट समत 2011 से पूर्व ही फोत हो चुका था। बहाल कर रेस्पोडेन्ट को नाजायज लाभ पहुँचाया है। जबकि उक्त पत्रावली दिनांक 21.07.2011 से तहसीलदार फुलेरा के पास माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 03.05.2011 की पालना हेतु विचाराधीन थी। जिसमें दिनांक 18.07.2018 की आदेशिका में तहसीलदार फुलेरा ने कोई कार्यवाही नहीं कर सर्वप्रथम दिनांक 02.08.2018 से राम लाल पुत्र गूरा जाति अहीर नि. हरिपुरा के एक प्रार्थना पत्र ना. सं. 138 ग्राम बाघपुरा के सम्बन्ध में कार्यवाही की जिसकी सूचना अपीलार्थीगण को तहसीलदार फुलेरा नहीं देकर दिनांक 13.12.18 को केवल रामलाल के तत्कालीन अधिवक्ता रामचन्द्र यादव ने एक तरफा में तहसीलदार फुलेरा को वास्तविक तथ्य नहीं बताकर मात्र नामान्तकरण संख्या 138 को बहाल करके तथा फर्जी ना. सं. 138 जिसकी कि कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय जयपुर तक की उसको बहाल रख कर एकतरफा में निर्णय दिनांक 21.02.2019 को पारित किया हैं । सर्व प्रथम उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.02.2019 की जानकारी दिनांक 11.04.2019 को हुई जब अपीलार्थी सुरेश ने तहसीलदार फुलेरा को अपने पिता मांगू उर्फ रामजीवन पुत्र डालू अहीर की विरासत का उक्त भूमि का नामान्तकरण खुलवाने का प्रार्थना पत्र दिया तो तहसीलदार फुलेरा ने कहा कि मैने तो इस जमीन का नामान्तकरण खोल दिया । नकल का प्रार्थना पत्र दिया जिसकी नकल के दिनांक 24.04.2019 को मिली उसके पश्चात राम लाल के निर्णय अति. जिलाधीश जयपुर व माननीय

संभागीय आयुक्त जयपुर

उच्च न्यायालय जयपुर के निर्णय दिनंका 03.05.2011 की प्रमाणित प्रति दिनांक 24.04.2019 को मिली । चूंकि तहसीलदार फुलेरा का निर्णय दिनांक 21.02.2019 एकपक्षीय था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाना आदेश पारित किया है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों पर गौर किये बिना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया हैजो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार फुलेरा जिला जयपुर दिनांक 21.02.2019 को निरस्त किया जावे।

5. रेस्पोडेण्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि उक्त आराजी के खातेदार मांगू पुत्र डालू की मृत्यु होने पर तत्कालीन हल्का पटवारी शार्दुलपुरा द्वारा नामान्तकरण सं0 138 वाकै ग्राम बाघपुरा का दिनांक 23.09.1979 को भरा जाकर ग्राम पंचायत शार्दुलपुरा के समक्ष दिनांक 21.11.1979 को पेश किया गया जो प्रस्ताव सं0 10 के तहत स्वीकार किया गया उसके बाद उक्त नामान्तकरण का अमल मांगू पुत्र डालू के वारिसान नारायण के फुलेरा मु. साँभर लेक पुत्र मोगा व कालू के नाम 1/3 हिस्से का किया गया व जयराम के पुत्र गंगाराम के नाम 1/3 हिस्से का व भूरा के पुत्र रामलाल के नाम 1/3 हिस्से का खोला गया । ग्राम हरिपुरा के निवासी रामजीवण पुत्र डालू ने यह कहते हुए एक एफ0आई0आर पुलिस थाना फुलेरा में दर्ज करवायी कि मैं ही मांगू हूँ जिसे झूठा मरा हुआ दिखाकर नामान्तकरण सं0 138 वाकै ग्राम बाघपुरा के सम्बन्ध में खोला गया है उसके वारिसान व पटवारी हल्का छल कपट के दोषी है उनके खिलाफ कार्यवाही की जावे उक्त मुकदमें का माननीय सिविल न्यायालय मु0नं0 81/82 व 346/79 निर्णय दिनांक 11.11.1982 को किया जाकर नामान्तकरण सं0 138 के वारिसान मोगा, कालू, गंगाराम, रामलाल व हल्का पटवारी को न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया जिसकी निगरानी रामजीवण ने माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश सांभरलेक में प्रस्तुत की जिसकी फौजदारी निगरानी सं0 7/92 दिनांक 24.09.1993 को खारिज हो चुकी है उसमें दिनांक 11.11.1982 के निर्णय को बहाल रखा गया जो आज तक बहाल है। उसके पश्चात् रामजीवण ने नामान्तकरण सं0 138 की नामान्तकरण अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक अपील सं0 23/79 उनवानी रामजीवन बनाम मोगा पेश की जो दिनांक 17.10.1995 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हो चुकी है तथा एक घोषणा का वाद सं0 334/89 उनवानी मांगू बनाम मोगा भी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभर में पेश किया था जो दिनांक 17.10.1995 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हो चुका है।

रेस्पोडेण्ट्स के अधिवक्ता ने कथन किया कि मांगू पुत्र डालू के वारिसानों ने भी एक स्थायी निषेधाज्ञा का वाद व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा रामजीवण के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक में पेश किया था जिसका वाद सं0 33/08 व प्रा०पत्र सं0 59/83 उनवानी मोगा बनाम रामजीवण था जिसमें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक ने रामजीवण को उक्त आराजी में दखल अन्दाजी न करने बाबत् दिनांक 09.09.1981 को मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा कन्फर्म की गयी थी। जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर व राजस्व मण्डल राज० अजमेर व राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में हुयी थी जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर व राजस्व

संभागीय आयुक्त
जयपुर

मण्डल अजमेर ने इस निर्देश के साथ उक्त पत्रावली पुनः सुनवाई हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक को लौटायी गयी थी कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक उक्त आराजी के मौके पर जाकर यह कन्फर्म करे कि उक्त आराजी का कब्जा मांगू पुत्र डालू खातेदार की मृत्यु पर उसके वारिसान जो नामान्तकरण सं0 138 के तहत रिकोर्ड पर आये है उनके पास है या अपीलान्ट रामजीवण के पास जिसके पास कब्जा पाये जाये उसके पक्ष पूर्व में जारी आदेश को कन्फर्म माना जावें। उसके बाद उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक ने दिनांक 04.08.83 को दिनांक 09.09.81 के द्वारा जारी स्थगन को ही मूल वाद निस्तारण तक कन्फर्म माना। जिसके बाद दिनांक 28.03.2013 को मूल वाद का निस्तारण किया जाकर वादी का वाद इस आशय का डिक्री किया गया कि "प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि आराजी खं० नं० 323, 325 किता 2 कुल रकबा 12 बीघा 6 विस्वा वाकै ग्राम बाघपुरा तह० फुलेरा में वादीगण के कब्जें काश्त में हस्तक्षेप न करे न करावें ओर बेदखल नहीं करे न करवावें एवं प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाता है।"

उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्धित पक्षकारों में हक व अधिकारों को लेकर विवाद होने पर तत्कालीन तहसीलदार फुलेरा द्वारा एक पत्र क्रमाक भू०अ०/84/1337-38 दिनांक 17.04.84 जारी किया गया। उक्त पत्र की पालना में तत्कालीन हल्का पटवारी ने नामान्तकरण सं0 138 वाकै ग्राम बाघपुरा तह० फुलेरा का आराजी खं०न0 323, 325 की जमाबन्दी से अमल रोक दिया गया जो आजदिन तक रोका हुआ है। उक्त पत्र की जानकारी होने से प्रार्थी रामलाल पुत्र भूरा जो उक्त आराजी के खातेदार मांगू पुत्र डालू के पुत्र भूरा का पुत्र है ने अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर के यहा अपील पेश की जिसकी अपील सं0 5/08 उनवानी रामलाल बनाम राज० सरकार थी जिसका निस्तारण दिनांक 30.09.2014 को किया जाकर उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्यों व निर्णयों का अवलोकन किया जाकर माननीय न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा भू०अ०/84/1337-38 दिनांक 17.04.84 को निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु इस न्यायालय को रिमाण्ड किया गया है जिस पर प्रार्थी रामलाल पुत्र भूरा ने एक प्रा०पत्र दिनांक 02.08.18 को न्यायालय हाजा में पेश किया । जिस पर ग्राम बाघपुरा के नामान्तकरण सं0 138 दिनांक 21.11.78 को स्वीकार किये जाने पर जमाबन्दी संवत् 2034-37 में अमल किया गया था जिसको तत्कालीन समय तहसीलदार ने पत्रांक एल.आर./84/1337-38 दिनांक 17.04.84 के द्वारा अमल रोकने के आदेश जारी किये जाने पर आगामी जमाबन्दी संवत् 2038-41 में उक्त नामान्तकरण का अमल नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण के अमल दरामद रोकने को उचित आधार नहीं मानते हुयेनामान्तकरण सं0 138 दिनांक 21.11.78 के अनुसार वर्तमान जमाबन्दी में अमल किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। अतः अपीलांट्सका वादग्रस्त भूमि मे कोई हक अधिकार कानूनन नही बनते है। अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर अपीलांट्स का उक्त विवादग्रस्त आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार फुलेरा द्वारा विधिवत् ही मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसान् की जॉच करने के पश्चात् ही सजरा खानदान के अनुसार प्रार्थीगण के पक्ष में नामान्तरण स्वीकृत किया गया है। जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

संभागीय आयुक्त जयपुर

6. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण का अवलोकन किया एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया। अतः न्यायहित में दफा–5 के अंकित कथनो पर विश्वास करते हुये अपीलाधीन आदेश की जानकारी देरी से प्राप्त होने एवं नकल दिनांक 24.04.2019 को प्राप्त होने से नरमी का रूख अपनाते हुये अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में मूल विवाद मृतक खातेदार मांगू पुत्र डालूकी विरासत को लेकर है। अपीलांट का कथन है कि रामजीवण ही मांगू है तथा वाके ग्राम बाघपुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 323, 325 अपीलांट के बुजुर्ग रामजीवण उर्फ मांगू पुत्र डालू की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि है। मांगू पुत्र डालू की विरासत में असल रेस्पोडेन्ट का व उनके पूर्वजों का कोई सम्बन्ध वास्ता सरोकार नहीं है। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि उक्त के संबंध में माननीय सिविल न्यायालय द्वारा मु0नं0 81/82 व 345/79 निर्णय दिनांक 11.11.1982 से नामान्तकरण सं0 138 के वारिसान मोगा, कालू, गंगाराम, रामलाल व हल्का पटवारी को दोषमुक्त माना गया एवं जिसकी निगरानी अपीलार्थी रामजीवण ने न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश सांभरलेक में प्रस्तुत की जो दिनांक 24.09.1993 को खारिज की जाकर दिनांक 11.11.1982 के निर्णय को बहाल रखा गया। दूसरी तरफ अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त नामान्तरकरण संख्या 138 की अपील भी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के यहाँ खारिज हो चुकी है तथा उक्त विवादग्रस्त आराजी के संबंध में उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक द्वारा भी रेस्पोडेण्ट्स के पक्ष में उक्त विवादग्रस्त आराजी खं० नं० 323, 325 किता 2 कुल रकबा 12 बीघा 6 विस्वा वाकै ग्राम बाघपुरा तह० फुलेरा के संबंध में दिनाक 28.03.2013 को वाद स्थाई निषेधाज्ञा भी डिक्री किया जाकर अपीलार्थीगण का काउण्टर क्लेम खारिज किया जा चुका है।

उक्त विवादग्रस्त आराजी के संबंध में तहसीलदार फुलेरा के पत्र क्रमांक भू०अ०/84/1337–38 दिनांक 17.04.84 द्वारा नामान्तकरण सं0 138 का जमाबन्दी से अमल रोकने बाबत् आदेश की अपील प्रार्थी रामलाल पुत्र भूरा पुत्र मांगू ने अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर के यहाँ पेश करने पर दिनांक 30.09.2014 को न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों का अवलोकन कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार फुलेरा की आज्ञा भू०अ०/84/1337–38 दिनांक 17.04.84 को विधिअनुरूप निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु तहसीलदार फुलेरा को रिमाण्ड किया गया। जिस पर तहसीलदार फुलेरा द्वारा नामान्तकरण के अमल दरामद रोकने को उचित आधार नहीं मानते हुये नामान्तकरण सं0 138 दिनांक 21.11.78 के अनुसार वर्तमान जमाबन्दी में अमल किये जाने के आदेश दिनांक 21.02.2019 को दिये गये। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विवादग्रस्त आराजी के संबंध में सभी विभिन्न न्यायालयों में प्रस्तुत निर्णयों का अवलोकनकरते हुये हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार ही मृतक खातेदार मांगू पुत्र डालू के विरासत का नामान्तरकरण जायज वारिसान के नाम अमल किये जाने के आदेश दिये गये हैं जिसके रेस्पोडेण्ट्स विधिक अधिकारी हैं। ऐसे में अपीलाधीन आदेश न्यायिक दृष्टि से उचित एवं विधिसम्मत है। अपीलांट्स द्वारा उक्त विवादग्रस्त आराजी के संबंध में अपने हक–हकूक एवं अधिकारों को साबित करने के लिए कोई दस्तावेज एवं साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किए गये हैं। चूंकि नामान्तरकरण एक फिसकल प्रोसेंडिग है इसके तहत किसी के खातेदारी

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अगर अपीलांट्स को अधिकार तय कराने हैं तो सक्षम न्यायालय से ही अधिकारों को निर्धारण किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर चतुर्थ जिला जयपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.09.2014 एवं तहसीलदार फुलेरा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.02.2019 उचित व विधिसम्यक है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अपीलाधीन आदेशों में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

अतः आदेश है कि: अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर चतुर्थ जिला जयपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.09.2014 एवं तहसीलदार फुलेरा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.02.2019 यथावत रखा जाता है।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त,
संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 22.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर
संभागीय आयुक्त
जयपुर